मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-15

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

मंगलवार, दिनांक 7 मार्च, 2006 (फाल्गुन 16, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 19 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 81 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 62 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि आज की प्रश्नोत्तर सूची में शामिल सभी 25 तारांकित प्रश्नों का दूसरा चक्र भी निर्धारित समय से पूर्व पूरा होने के कारण कार्यसूची में निहित अन्य विषय लिया जाता है।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले में आंधी एवं बरसात से किसानों की फसलें नष्ट होने,

(2) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़), सदस्य ने मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिला में जिला कलेक्टरों को जिले के अंदर प्रत्येक गांव में निस्तार पत्रक तैयार करने के बावजूद भी निस्तार नही किये जाने,

(3) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य ने उत्कृष्ट विद्यालय मैहर जिला सतना के प्राचार्य सेवा निवृत्त के बाद भी प्राचार्य के पद पर रखे जाने,

(4) श्री नानालाल पाटीदर, सदस्य ने ग्राम धतुरिया में वर्षा से वोलटेज नही मिलने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान अधिनियम,1990 की धारा 36 की उप धारा (3) की अपेक्षानुसार माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखा।

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्री रामलखन शर्मा, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने रीवा एवं सतना जिले में निर्धारित मापदंड के अनुरूप नहरों का निर्माण न होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर जिले में राजीव गांधी सामुदायिक स्वास्थ्य मिशन के तहत आवंटित राशि का उपयोग जनहित में न होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारी लाल रघुवंशी) पीठासीन हुए।

श्री अजय विशनोई, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना जिले के ग्राम सरैसनी से सतीमाता मंदिर तक सड़क बनाये जाने,

(2) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य की राजगढ़ जिले के -

(क) ग्राम सैमलीकला में हाई स्कूल खोले जाने,

(ख) ग्राम करनवास, करेड़ी, कालीपीठ,चाटूखेड़ा एवं पपडेल में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जाने,

(ग) ग्राम पिपलोदी, चौसला, भोजपुर,बांसखेड़ा,किला अमरगढ़ एवं भिंयापुरा में हाई स्कूल खोले जाने,

(घ) ग्राम पपडेल में भुमरिया तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने, तथा

(ङ) ग्राम संवासड़ा में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(3) श्रीमती शशि ठाकुर, सदस्य की सिवनी जिले के ग्राम भीमगढ़ के पास वैनगंगा नदी पर पुल बनाये जाने,

(4) श्री ओम प्रकाश खटीक, सदस्य की शिवपुरी जिले के बदरवास नगर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का शेष निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने,

(5) श्री रामदास उइके, सदस्य की छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव नगर में कृषि एवं सब्जी मंडी खोले जाने,

(6) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य की कटनी जिले के ग्राम लुहरवारा नं. 1 स्थित बालक आश्रम माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(7) श्री बोध सिंह भगत, सदस्य की बालाघाट जिले के -

(क) खैरलांजी-अतरी -आरम्भा मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,तथा

(ख) रामपायली-कोथुरना मार्ग के चंदन नदी पर पुल बनाये जाने,

(8) श्रीमती सन्ध्या सुमन राय, सदस्य की मुरैना जिले के -

(क) ग्राम सिधारी के पुरा स्थित कन्या हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,

(ख) ग्राम सिधारी के पुरा में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(ग) ग्राम सिधारी के पुरा से तुल के पुरा तक सड़क बनाये जाने,

(घ) दिमनी नगर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन बनाये जाने,तथा

(ङ) दिमनी नगर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने,

(9) ठा. सोबरन सिंह "बाबूजी", सदस्य की जबलपुर जिले के -

(क) ग्राम मनकेड़ी में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जाने,

(ख) ग्राम कटरा बेलखेड़ा मे हाई स्कूल खोले जाने,

(ग) ग्राम सहजपुर में कन्या एवं बालक हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जाने,तथा

(घ) ग्राम चरगवां में कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जाने,

संबंधी याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई।

6. वर्ष 2005-2006 की तृतीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

"दिनांक 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,34,37,39,41, 42,43,45,49,55,56,57,59,60,62,64,65,66,67,69,73,75,79,81,82,95 तथा 96 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय कुल मिलाकर चौदह सौ सड़सठ करोड़,सात लाख,नौ हजार,नौ सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाय".

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉÉ xÉ SÉSÉÉ ¨É ¦ÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ :-

(1) श्री इन्द्रजीत कुमार

(2) श्रीमती सुधा जैन

(3) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा

(4) श्री सत्यदेव कटारे

(5) श्री दिलीप भटेरे **(भाषण अपूर्ण)**

(चर्चा अपूर्ण)

(1.00 बजे से 2.36 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री दिलीप भटेरे, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया।

(6) डॉ. सुनीलम्

(7) श्री रामलखन शर्मा

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्य प्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2006 (क्रमांक 4 सन् 2006) का {É®&ºIÉÉ{ÉxÉ किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्य प्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2006 (क्रमांक 4 सन् 2006) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

8. वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(1) श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 23	जल संसाधन के लिए सात सौ इक्यासी करोड़,बावन लाख,नौ हजार रूपये
अनुदान संख्या - 40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट के लिए अठारह करोड़,सैतालीस लाख,पचास हजार,
अनुदान संख्या - 45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिए एक सौ उनचास करोड़,पच्चीस लाख, इकतालीस हजार रूपये ,
अनुदान संख्या - 57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए एक सौ तिरासी करोड़,अठावन लाख,इक्यासी हजार रूपये,तथा
अनुदान संख्या - 75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए एक सौ छियासी करोड़,चौबीस लाख रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 23	2,8,14
मांग संख्या - 45	2,10
मांग संख्या - 75	1

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री सत्यदेव कटारे

सभापति महोदय (श्री लाल सिंह आर्य) पीठासीन हुए.

(2) श्री बृजेन्द्र तिवारी
(3) डॉ. सुनीलम्
(4) श्री रामलखन शर्मा
(5) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(6) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह
(7) श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(8) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल
(9) श्री लाल सिंह आर्य
(10) श्री इन्द्रजीत कुमार
(11) श्री वं शमणि प्रसाद वर्मा
(12) श्री ताराचंद बाबरिया
(13) श्री घनश्याम सिंह
(14) श्री दिलीप सिंह गुर्जर
(15) श्री रघुनाथ सिंह मालवीय
(16) श्री ज्ञान सिंह
(17) श्रीमती सरोज बच्चन नायक
(18) श्री नानालाल पाटीदार
(19) श्री बाबूलाल महाजन
(20) श्री धुलजी चौधरी
(21) श्रीमती अर्चना चिटनिस
(22) श्री मनमोहन शाह बट्टी
(23) श्री शंकरलाल तिवारी

(24) श्री दुर्गालाल विजय
(25) श्री मेहरवान सिंह रावत
(26) श्री गिरिराज मण्डलोई
(27) श्री दिलीप सिंह परिहार
(28) श्रीमती शशि ठाकुर
(29) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़)
(30) श्री बृजमोहन धूत
(31) डॉ. नारायण सिंह परमार
(32) श्री बहादुर सिंह चौहान
(33) श्री शांतिलाल धवई
(34) श्री बृजेन्द्र प्रताप
(35) श्री आरिफ अकील

श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री अजय विश्नोई, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए सात सौ पचानवे करोड़, दस लाख रूपये,
अनुदान संख्या - 61	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए दस करोड़ रुपये, तथा
अनुदान संख्या - 79	चिकित्सा शिक्षा के लिए दो सौ बत्तीस करोड़, पचहत्तर लाख, इक्यासी हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 19	1,6,7,8,10,16
मांग संख्या - 61	1,2
मांग संख्या - 79	1,2,45

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ चर्चा प्रारम्भ हुई।

श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया।

(चर्चा अपूर्ण)

07.03 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 8 मार्च, 2006 (फाल्गुन 17, 1927) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.